न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 103 / 2013 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. ओसमान गोद पुत्र वली जाति मुसलमान निवासी सोबदार की बस्ती तहसील रामसर जिला बाड़मेर।	बनाम	1.मुराद पुत्र बहादूर 2.रतन पुत्र रहीम 3.गुलाबी पत्नी बहादूर 4.गुलाबी पत्नी वली जाति मुसलमान निवासी सोबदार की बस्ती तहसील रामसर। 5.श्रीमान तहसीलदार, रामसर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर रामसर के मूल राजस्व वाद संख्या 05/2012 बअनवान मुराद बनाम रतन वगै. मे पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.07.2013 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री सुनील के मेराजा अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री प्रवीण चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 04 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः– 29.07.2019

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के गोद पिता स्व. वली, उतरदाता संख्या 01 मुराद व उतरदाता संख्या 02 रतन की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा संख्या 115 रकबा 41.19 बीघा मौजा मदरूप का तला व खसरा संख्या 64 रकबा 48.13 बीघा सोबदार की बस्ती में आये है, इस आराजी में हिस्सा 1/3 वादी मुराद का, हिस्सा 1/3 प्रतिवादी संख्या 01 रतन का व हिस्सा 1/3 अपीलांट के गोद पिता स्व. वली प्रतिवादी संख्या 03 का है। उतरदाता संख्या 01 मुराद ने प्रतिवादी रतन व स्व. वली के विरूद्ध एक राजस्व वाद इस आशय का पेश किया कि इस आराजी में उसे हिस्सा 1/3 का सहखातेदार घोषित किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय में वाद दायर करने के पश्चात अंत समय तक प्रतिवादी स्व. वली को इस वाद की जानकारी नहीं होने दी व न उसके नाम का सम्मन वास्ते जबावदावा, उसकी सकुनत पर आया और न उसके वारिस का कोई सम्मन बनाम कायम मुकाम स्व. वली की सकूनत पर आया वाद की समस्त कार्यवाही एकपक्षीय हुई। सन् 2004 के पिरवार कार्ड संख्या 33 जो दिनांक 01.10.2004 को जारी हुआ है। उससे स्पष्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

है कि वली की सन् 2004 में कोई पत्नी नहीं है। बीपीएल का जो जांबकार्ड है उसमें परिवार के सदस्यों में केवल वली ही दर्ज है। वली के 2004 में पत्नी नहीं थी। अपीलांट स्व. वली के साथ मय परिवार विगत लम्बे समय से पुत्रवत रहता आया है। स्व. वली के साथ गोदपुत्र की हैसियत से अपीलांट के रहने से दिनांक 02.02.2013 को स्व. वली ने अपीलांट के पक्ष में गोदपुत्र की पुष्टि हेतु गोदनामा पंजबद्ध कराया, दिनांक 02.02.2013 को पंजीबद्ध कराया उससे पूर्व स्व. वली की पत्नी नहीं थी। वह फौत हो चुकी थी। मुस्मात गुलाबी जिसे विचरण न्यायालय में स्व. वली की पत्नी बताया गया है वह उतरदाता संख्या 01 की जन्मदात्री माता स्व. बाहदूर की पत्नी है तथा अपीलांट के गोद पिता स्व. वली के हिस्से की भूमि हड़पने की यह एक साजिश है और यह अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध है तथा प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में वाद दायर करने के पश्चात अंत समय तक प्रतिवादी स्व. वली को इस वाद की जानकारी नहीं होने दी व न उसके नाम का सम्मन वास्ते जबावदावा, उसकी सकुनत पर आया और न उसके वारिस का कोई सम्मन बनाम कायम मुकाम स्व. वली की सकूनत पर आया वाद की समस्त कार्यवाही एकपक्षीय हुई। सन् 2004 के परिवार कार्ड संख्या 33 जो दिनांक 01.10.2004 को जारी हुआ है। उससे स्पष्ट है कि वली की सन् 2004 में कोई पत्नी नहीं है। बीपीएल का जो जांबकार्ड है उसमें परिवार के सदस्यों में केवल वली ही दर्ज है। वली के 2004 में पत्नी नहीं थी। अपीलांट स्व. वली के साथ मय परिवार विगत लम्बे समय से पुत्रवत रहता आया है। स्व. वली के साथ गोदपुत्र की हैसियत से अपीलांट के रहने से दिनांक 02.02.2013 को स्व. वली ने अपीलांट के पक्ष में गोदपुत्र की पुष्टि हेतु गोदनामा पंजबद्ध कराया, दिनांक 02.02.2013 को पंजीबद्ध कराया उससे पूर्व स्व. वली की पत्नी नहीं थी। वह फौत हो चुकी थी। मुस्मात गुलाबी जिसे विचरण न्यायालय में स्व. वली की पत्नी बताया गया है वह उतरदाता संख्या 01 की जन्मदात्री माता स्व. बाहदूर की पत्नी है तथा अपीलांट के गोद पिता स्व. वली के हिस्से की भूमि हड़पने की यह एक साजिश है और यह अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध है तथा प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि मुस्लिम विधि में गोद को मान्यता दी हुई नहीं है। मुस्लिम धर्म संचालित होने वाले पक्षकारों के मध्य यदि गोद का तथ्य अभिकथित किया जाता हो तो उक्त तथ्य को प्रमाणित किये जाने का भार उसी पक्षकार पर है जो ऐसा कहकर आया है। मुस्लिम लॉ में गोद को नहीं जाना जाता, मगर फिर भी रीति–रिवाज के कारण मुस्लिम भी गोद का तरीका रख सकते है, मगर जो मुस्लिम यह अभिकथन करता है कि रिति रिवाज के अनुसार उसे गोद ले लिया गया है तो उसे यह प्रमाणित करना होगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRD 1991 Page 499
RRT 2002(2) Page 1358

अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता अपीलांट ने सर्वप्रथम अंतर्गत धारा 96 सी पी सी प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का ज्ञान दिनांक 21.08.2013 को हुआ, वादग्रस्त आराजी में अपीलांट का हित निहित है तथा उक्त वाद संख्या 05/2012 में पारित निर्णय से अपीलांट को भारी क्षति हो रही है तथा उस निर्णय 07.07.2013 को अपील के माध्यम से माननीय न्यायालय में चुनौती देना आवश्यक हो गया है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं होने से धारा 96 सी पी सी के प्रार्थना–पत्र के साथ पेश किया जा रहा है। अपीलांट का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने धारा 96 सी पी सी के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार नहीं होने से अपील पेश करने की अनुमति देना न्यायासंगत नहीं है। अपीलांट की अपील प्रार्थना–पत्र 96 सी पी सी पर निर्णत पारित करते हुए प्रार्थना–पत्र बाबत 96 सी पी सी को खारिज करते हुए अपील का अंतमि निर्णय फरमाया जावे। अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किया:–

RRT 2017(1) Page 613

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अपीलांट अधीनस्थ अदालत में प्रस्तुत वाद में पक्षकार नहीं था इसलिए अपील में धारा 96 सी पी सी के आवेदन के साथ आया है। वह वली के गोद पुत्र के रूप में कथन करते हुए अपील में आया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में मुस्लिम विधि में गोद को मान्यता नहीं है। इस रूप में अपीलांट परोक्षत वादग्रस्त भूमि में हितबद्ध/प्रभावित/पीड़ित पक्षकार नहीं है। यदि वह गोदनामा के आधार पर वादग्रस्त भूमि में अपना हक रखता है तो वह इस हेतु नियमित वाद लाने को स्वतंत्र है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सी पी सी का आवेदन खारिज किया जाता है।

अतः अपीलांट को अपील प्रस्तुति की अनुमति नहीं दी जाने से अपील खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रामसर के मूल राजस्व वाद संख्या 05/2012 बअनवान मुराद बनाम रतन वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.07.2013 को यथावत रखा जाता है।

29/7/19

(नखतदान चौरहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 29.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

29/7/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner